ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्व नगर,उ0प्र0।

पत्रांकः-ग्रे.नो./आई0टी0/2018/ 78764
दिनांकः 17/12/2018

कार्यालय-आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 04.12.2018 के अनुपूरक मद संख्या-113/11 में लिये गये निर्णयानुसार सूचना प्रौद्योगिकी योजनान्तर्गत आवंटनों में परियोजनाओं को निर्मित/विकसित किये जाने हेतु समय विस्तरण शुल्क प्राप्त करते हुए परियोजना के प्रथम चरण हेतु दिनांक 31.03.2020 तक समय विस्तरण अनुमन्य किया जाता है। जो आवंटी/ईकाई परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण नही करेगें उन्हे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि किसी आवंटन में सम्पूर्ण परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है तो उस आवंटी/ईकाई को परियोजना के प्रथम चरण हेतु दिनांक 31.03.2020 तक का समय विस्तरण द्वितीय चरण हेतु निर्धारित समय विस्तरण शुल्क के साथ दिया जायेगा अर्थात कुल प्रीमियम का 04 प्रतिशत, 06 प्रतिशत व 08 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं तत्पश्चात कुल प्रीमियम का 01 प्रतिशत प्रतिमाह सशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जायेगा। उक्त समय विस्तरण उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य किया जायेगा जिन इकाई/आवंटियों द्वारा परियोजना क्रियान्वयन हेतु मानचित्र स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो अथवा दिनांक 31.03.2019 तक मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। यदि आवंटी/इकाई द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक मानचित्र स्वीकृति प्राप्त नही की जाती है तो आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित कर दी जाएगी।

उपरोक्त अनुमन्य अवधि में आवंटियों/ईकाइयों द्वारा आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों के अनुसार रू0 4.00 करोड प्रति एकड तथा लीजडीड के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित निवेश तथा नियोजन विभाग से अनुमोदित मानचित्रानुसार अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 40 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण/सम्पूर्ण परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि के पश्चात कुल प्रीमियम का 04 प्रतिशत, 06 प्रतिशत, 08 प्रतिशत के पश्चात कुल प्रीमियम के 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं तत्पश्चात कुल प्रीमियम का 01 प्रतिशत प्रतिमाह सशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जायेगा। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम समय सीमा दिनांक 31.03.2021 तक अनुमन्य किया जाता है। जो आवंटी/इकाई दिनांक 31.03.2021 तक द्वितीय/सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नही करेगी, उन ईकाईयों/ आवंटनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त अनुमन्य अवधि में आवंटियों/ईकाइयों द्वारा आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों के अनुसार रू0 4.00 करोड प्रति एकड तथा लीजडीड के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित निवेश तथा नियोजन विभाग से अनुमोदित मानचित्रानुसार सम्पूर्ण अनुमन्य एफ0ए0आर0 पर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त समय विस्तरण निम्न शर्तों के अधीन दिया जायेगा-

1. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा यदि किसी आवंटी को पूर्व में कोई भी समय विस्तरण/छूट प्रदान की जा चुकी है परन्तु इकाई को उक्त निर्धारित अवधि में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित समय विस्तरण नीति के अनुरूप ही आवेदन करना होगा।

2. उपरोक्त निर्धारित समय विस्तरण प्राप्त करने के उपरान्त यदि इकाई द्वारा परियोजना पूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नही किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रकरणो/आवंटनों के निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।

3. यदि किसी परियोजना में निर्धारित समयावधि के मध्य आवंटी/ईकाई द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में समय विस्तरण शुल्क समानुपातिक रूप से लिया जायेगा।

4. उपरोक्त प्रस्तावित समय विस्तरण नीति वर्तमान आवंटनों पर ही प्रभावीं होगी। किसी भी स्थिति में पूर्व में समयवृद्धि शुल्क के मद में जमा धनराशि ना तो वापिस की जायेगी एवं ना ही समायोजित की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावीं होगें।

14.12.[illegible]

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना/नियोजन), ग्रेटर नौएडा।
3. उप महाप्रबन्धक/प्रभारी (आई0टी0), ग्रेटर नौएडा को अनुपालनार्थ।
4. प्रबन्धक (सिस्टम)।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी